

विमुक्त, धुमन्तु और अर्द्धधुमन्तु विकास
निगम एवं वी.सि.एन.एल. वि.सू.अर्द्धधुमन्तु विकास निगम

पत्र क्र. 964-2025-26

क्रमांक वि.सू. और अर्द्धधुमन्तु विकास/2025-26/ 964

दिनांक 23/01/2026

प्रशासकीय स्वीकृति

ग्रामीण विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 गीम संख्या-015, मुख्यधीर्ष 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण पर एकीकृत परियोजना, 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण, 800-अन्य वर्ग, 0101- सामान्य, 7397-विमुक्त जातियों की वस्तुओं का विकास, 7-64-कृषि निर्माण कार्य, 002-उप कृषि निर्माण कार्य अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यों हेतु जिला सागर को राशि रु. 18.29 लाख (अठारह लाख अठतीस हजार रुपये मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.	जिला	ग्राम पंचायत/विकास खण्ड	निर्माण कार्य का नाम एवं स्थान	स्वीकृत राशि रुपये लाख में
1	2	3	4	5
1	सागर	विचपुरी/राहतगढ़	ग्राम बरखेड़ी सड़क में सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य में सर्विस रोड से गोरिलाल लोहगढ़िया के घर तक	3.23 ✓
2	सागर	विचपुरी/राहतगढ़	ग्राम बरखेड़ी सड़क में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य उत्तर दिशा	1
3	सागर	विचपुरी/राहतगढ़	ग्राम बरखेड़ी सड़क लोहगढ़िया मोहल्ला में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य दक्षिण दिशा में	1
4	सागर	विचपुरी/राहतगढ़	ग्राम बरखेड़ी सड़क में सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य में सर्विस रोड से दत्तवंत लोहगढ़िया के घर तक	3.17 ✓
5	सागर	विचपुरी/राहतगढ़	ग्राम बरखेड़ी सड़क में केन्द्रीकृत नाली निर्माण कार्य सर्विस रोड के दोनों तरफ	2
6	सागर	विचपुरी/राहतगढ़	ग्राम बरखेड़ी सड़क में सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य में सर्विस रोड से फूलचंद लोहगढ़िया के घर तक	3.3 ✓
7	सागर	विचपुरी/राहतगढ़	ग्राम बरखेड़ी सड़क में केन्द्रीकृत नाली निर्माण कार्य सर्विस रोड से राम सिंह लोहगढ़िया के घर तक	2
8	सागर	विचपुरी/राहतगढ़	ग्राम बरखेड़ी सड़क में सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य में सर्विस रोड से राम सिंह लोहगढ़िया के घर तक	2.59 ✓
			योग	18.29

उक्त प्रशासकीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. संचालनालय का पत्र क्र./वि.सू.अर्द्धधु/2025-26/ 964 दिनांक 12.01.2026 का उत्तर जिते से अप्राप्त होने से और वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर होने से प्रशासकीय स्वीकृति सशर्त जारी की

अनुमान अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन

सहायक संचालक
विमुक्त, धुमन्तु और अर्द्धधुमन्तु
ग्रामीण विकास

जा रही है। जारी पत्र में अधिकृत विनियमों का पूर्णतः पालन जिला कलेक्टर द्वारा सुनिश्चित किया जाये।

2. मध्यप्रदेश विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जनजाति वस्ती विकास नियम 2013 की केंसिका 53 का पूर्णतः पालन किया जाये। जिसका उद्देश्य निम्नानुसार है - निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य योजना बनाने हेतु ऐसी विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु बस्तियों/ डेरो की पहचान की जाये जिनमें मूलभूत सुविधाओं का या तो अभाव है या कमी है तथा क्षेत्रों के पहचान करने की जिम्मेदारी संबंधित जिला कलेक्टर की होगी।
3. कार्य की एजेंसी संबंधित निकाम होगी।
4. व्यव वित्तीय नियमों के अंतर्गत दिनांक 31.03.2026 तक आवश्यक रूप से किया जाये एवं कार्य पूर्ण कर उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित किया जाये।
5. किसी कारणवश राशि का उपयोग न होने पर राशि तत्काल संचालनालय को समर्पित की जाये।
6. कार्य पूर्णता पश्चात् पंचायत दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि करना सुनिश्चित की जाये।

संतान- पत्र सं/वि.घु.अर्द्ध.घु./2025-26/ 984 दिनांक 12.01.2026

Digitally signed by

Neha Marvya

Date: 23-01-2026

(डि.म.रु.व्हा. IAS)

संचालक

विमुक्त घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु

समुदाय विकास

दिनांक 23/1/2026

पृ.क्र.वि.घु.ओर अर्द्धघु/वस्ती विकास/2025-26 /035

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री मध्यप्रदेश शासन, विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर जिला सागर (म.प्र.)की ओर वस्ती विकास नियम 2013 के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश।

अनुभाष अधिकारी

मध्यप्रदेश शासन

घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जनजाति विभाग
मंत्रालय भोपाल

संचालक
विमुक्त घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु
समुदाय विकास